राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1561, 1562 व 1563/2011/चित्तौड़गढ़.

मैसर्स नन्दलाल शर्मा, मातृकुडिया, चित्तौड़गढ़ । .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09.06.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त तीन अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा क्रमशः अपील संख्या क्रमशः 83, 172 व 173/वेट/2009–10 के संबंध में पारित किये गये संयुक्त अपीलीय आदेश दिनांक 31.10.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वेट अधिनियम" कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

चूंकि प्रस्तुत तीनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु सादृश्य हैं। अतः तीनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कार्यपालक इंजीनियर जल विभाग खण्ड राजसमंद, व कार्यपालक इंजीनियर सा.नि.वि. खण्ड द्वारा क्रमशः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत् माताजी का खेड़ा बांयी मुख्य नहर का जीर्णोद्वार, सम्पर्क सड़क नवलपुरा सड़क पर ग्रेवल का कार्य व सम्पर्क सड़क पावटिया सड़क पर ग्रेवल का कार्यों निर्माण कार्यों के लिये अपीलार्थी व्यवहारी की निविदाएं न्यूनतम होने से स्वीकृत कर पृथक–पृथक कार्य आदेश दिनांक 20.02.2009, 01.07.2009 व 01.07.2009 जारी किये गये। अपीलार्थी की ओर से उक्त संविदा कार्यों बाबत राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12 (63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.8.2006 के तहत मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) के समक्ष पृथक–पृथक आवेदन–पत्र प्रपत्र डब्ल्यू.टी.–1 में दिनांक 03.03.2009, 30.07.2009 व दिनांक 30.07.2009 को प्रस्तुत किये गये। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को नरेगा योजना अन्तर्गत जारी उक्त कार्यादेशों को संविदा की श्रेणी में नहीं आना मानते हुए मुक्ति प्रमाण–पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र डब्ल्यू.

लगातार.....2

टी.–1 अस्वीकार करने के पृथक– पृथक आदेश दिनांक 24.04.2009, 26.08.2009 व 26.08.2009 को पारित किये गये। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये संयुक्तादेश दिनांक 31.12.2010 के प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित जोकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त तीन अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि अवार्डर द्वारा अपीलार्थी को नरेगा योजनान्तर्गत नहर के जीर्णाद्धार व ग्रवेल के कार्यों हेतु स्वीकृत संविदा कार्यों के कार्यादेशों के साथ संलग्न 'जी' शिड्यूल के अनुसार आवश्यक खुदाई; रेती, सीमेन्ट व गिट्टी आदि सामग्री मिक्स कर पानी डालकर कार्य सम्पादित करने हैं। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उक्त कार्यादेशों की प्रतिफल राशि की एवज में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सहित संविदा कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कार्यादेशों के जरिये प्राप्त निर्माण कार्य संविदा कार्यों की श्रेणी में आते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स 2005–80 दिनांक 11.8.2006 के तहत निर्धारित मुक्ति शुल्क अदा कर मुक्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखता है। अतः प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन–पत्र डब्ल्यू.टी.–1 अस्वीकार करने हेतु पारित आदेश दिनांक दिनांक 24.04.2009, 26.08.2009 व 26.08.2009 24.6.2009 पूर्णतः अविधिक हैं तथा इन आदेशों की पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में **कर बोर्ड की समन्वयपीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील संख्या 1154 से 1159/2011/चित्तौड़गढ़ में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2012** को प्रोद्धरित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार कर, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों को स्वीकार कर, कर मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करन की प्रार्थना की गयी।

विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित कार्यादेशों की राशि बाबत राज्य सरकार की वेट अधिनियम की धारा 8(3) के तहत जारी अधिसूचना संख्या एफ.

लगातार.....3

12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.8.2006 के अनुसरण में विमुक्ति शुल्क का विकल्प लेने हेतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन–पत्र डब्ल्यू. टी.–1 प्रस्तुत किये गये। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के कार्यादेशों के 'जी' शिड्यूल की शर्तों में नरेगा योजना के प्रावधानानुसार अकुशल श्रमिकों का नियोजन विभाग द्वारा कर श्रमिकों को भुगतान विभाग द्वारा पृथक से किया जाना अंकित होने से अपीलार्थी को सामग्री आपूर्ति के पृथक से कार्यादेश जारी किये जाने के कारण इनको संविदा कार्यों की श्रेणी में नहीं आना मानते हुए आवेदन–पत्र डब्ल्यू.टी.–1 अस्वीकार कर दिये गये जिसके संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से पारित अपीलीय आदेश मे विस्तृत विश्लेषण कर, जांच हेतु प्रकरणों को निर्धारण अधिकारी का प्रतिप्रेषित किये हैं। अतः पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

9.6.2015

(मदन लाल)
सदस्य